नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

...प्रार्थी द्वारा न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश न्यायालय क्र.2 (उत्तर) कोटा के आदेश दिनांक 13/8/24 की प्रति नहीं प्रस्तुत की गई। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही 27/11/24 को पेश हो।

हस्ताक्षर 30/8

27/11/24.

पत्रावली पेश हुई। वास्ते बहस 13/12/24 को पेश हो।

हस्ताक्षर 27/11

13/12/24.

पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 10/01/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर 13/12

10/01/25

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र धारा 10 CPC प्रस्तुत हुई।

प्रतिवादी प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC प्रस्तुत कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निवेदन किया गया कि वादी उपरोक्त वाद में विभाजन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रश्नगत आराजीयात के सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा एक दीवानी वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें कथित विक्रय पत्र को अवैध व शून्य कराने की अनुतोष चाही गई है। प्रतिवादी वादीगण द्वारा उक्त बाबत सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। दिनांक 30/01/24 को अभिभावक प्रतिवादी वादीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम सं. 2 (दक्षिण) कोटा के आदेश दिनांक 13/08/2024 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। वादी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्ववर्ती वाद है, यदि प्रतिवादी को कोई कथन करना है तथा कोई आपत्ति करनी है तो वह अपने जवाब दावा में कर सकता है। वादी प्रतिवादीगण का यह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
भी कथन है कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मेन्टेनेबल नहीं है। धारा 10 जाब्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र उक्त वक्त पेश किया जाता है जब कि एक ही न्यायालय में एक ही नेचर के दो वाद हों, तो उसमें परस्पर विरोधी निर्णय नहीं हो। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया कि सिविल न्यायालय से उक्त वाद को स्थगित रखे जाने बाबत कोई आदेश नहीं है। बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई। प्रतिवादी प्रार्थीगण का कथन है कि न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम.2 द्वारा अपने आदेश दिनांक 13/08/24 द्वारा प्रकरण में यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है। अतः हातगत प्रकरण में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होने से सुनवाई को स्थगित किया जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी प्रतिप्रार्थीगण का कथन है कि न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश क्रम.2 दक्षिण द्वारा अपने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आदेश दिनांक 13/08/24 द्वारा दोनों पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित स्थल की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया है। विद्वान अधिवक्ता याची का यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्टतया अंकित किया गया है कि यदि किसी भी आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति को अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अध्यधीन होगा। जिससे स्पष्ट है कि मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन सम्पत्ति अन्तरित हो ना की जावे, बाबत भी स्पष्ट आदेश नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त आदेश से विभाजन की यह कार्यवाही प्रभावित नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा वकुलाय फरीकैन की बहस पर गम्भीरता- -पूर्वक मनन किया। तथा धारा 10 CPC

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

व माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम-2 दक्षिण के आदेश दिनांक 13/08/2024 से यथास्थान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

धारा 10 CPC अनुसार -

"कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य-विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहाँ ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है।"

धारा 10 CPC के अध्ययन से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	यह प्रमाणित है कि धारा 10 cpc से पूर्ववर्ती लम्बित वाद की कार्यवाही बाधित नहीं है।
	माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 13/8/24 कुम 2 डिवीजन के अनुसार - "दोनों पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित स्थल की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूल वाद तक विवादित सम्पत्ति पर कोई प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्ट प्रश्नगत होने से उक्त विवादित सम्पत्ति का उभय पक्ष द्वारा किसी भी आधार पर अन्यथा व्ययन या अन्तरण धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन होगा।"
	माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के आदेश से दोनों पक्षकारान पाबन्द है कि वे मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सम्पत्ति

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
अन्तरण धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अध्यधीन होगा। उक्त समस्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में विभाजन का प्रश्न, सम्पत्ति अन्तरण में सम्मिलित नहीं है। साथ ही धारा 10 CPC पूर्ववर्ती वाद के लंबित रहते नवीन प्रकरण की सुनवाई का स्पष्ट निषेध करती है, लेकिन उक्त परिस्थिति हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती। उक्त परिस्थितियों में चूंकि हस्तगत प्रकरण से ना तो स्वामित्व में परिवर्तन होगा ना ही सम्पत्ति अन्तरित होगी और ना ही हस्तगत प्रकरण पश्चातवर्ती है, हम प्रतिवादी साक्षीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं। अतः प्रतिवादी साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC बाबत स्थगित किये जाने सुनवाई अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही 30/01/2025 को पेश हो। 10/01/25